

कार्यालय, जनपद न्यायाधीश, अम्बेडकरनगर।

प्रकीर्ण आदेश सं०- 133 /2025

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के परिपत्र संख्या 29/2009/Admin. (G-II) दिनांकित-30.05.2009 एवं कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के चैप्टर-II के प्रस्तर 4(1) में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में जनपद न्यायालय, अम्बेडकरनगर में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के रोकथाम, निषेध एवं निवारण हेतु "आंतरिक शिकायत समिति" (Internal Complaint Committee) का पुनर्गठन निम्न प्रकार से किया जाता है-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	अध्यक्ष/सदस्य
1.	डा० श्रीमती जया पाठक, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अम्बेडकरनगर।	अध्यक्ष
2.	श्रीमती शिखा यादव, सिविल जज सीनियर डिवीजन, अम्बेडकरनगर।	सदस्य
3.	श्रीमती मेघा चौधरी, सिविल जज जूनियर डिवीजन, अम्बेडकरनगर।	सदस्य
4.	श्रीमती पुष्पा पाल, सचिव, जन शिक्षण केन्द्र।	सदस्य

समिति से अपेक्षित है कि वह माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के परिपत्र संख्या 29/2009/Admin.(G-II) दिनांकित-30.05.2009 में दिये गये निर्देशों एवं कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के रोकथाम, निषेध एवं निवारण हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करे।

दिनांक- 17.7.25

जनपद न्यायाधीश
अम्बेडकरनगर।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अम्बेडकरनगर।
2. सिविल जज सीनियर डिवीजन, अम्बेडकरनगर।
3. सिविल जज जूनियर डिवीजन, अम्बेडकरनगर।
4. श्रीमती पुष्पा पाल, सचिव, जन शिक्षण केन्द्र।
5. सिस्टम ऑफीसर को जनपद न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु।
6. गार्ड फाइल।

दिनांक- 17.7.25

न्यायालय की आज्ञा से
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
जनपद न्यायालय, अम्बेडकरनगर